परिपत्र संख्या 263/09/2026-जीएसटी

फ़ा.संख्या सीबीआईसी-20001/2/2026-जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी पॉलिसी विंग

कमरा संख्या-16039**,** कर्तव्य भवन
नई दिल्ली, दिनांक 26.10.2026

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर

सभी प्रधान महानिदेशक / महानिदेशक ।

महोदया/महोदय,

विषय: माल या सेवाओं के निर्यात संबन्धित भुगतान की प्राप्ति के संबंध में स्पष्टीकरण।

क्षेत्रीय कार्यालयों से जीएसटी रिफंड से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगे जाने के संबंध में संदर्भ प्राप्त हुए हैं। इन मुद्दों को स्पष्ट करने तथा इस संबंध में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे "सीजीएसटी अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 168(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड एतद्द्वारा नीचे दिए गए मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी करता है:

2. नोस्त्रो और विशेष गैर-निवासी रुपया (एसएनआरआर) खातों में सेवाओं के निर्यात के संबंध में विदेशी मुद्रा विप्रेषण की प्राप्ति: एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे 'आईजीएसटी

अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 2 के खंड (6) की शर्त (iv) के प्रावधानों के तहत सेवाओं की आपूर्ति के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अनुमति दिए गए मामलों में, विशेष गैर-निवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते या नोस्ट्रो खाते जैसे प्रत्यावर्तनीय रुपया (आईएनआर) खातों में प्राप्त निर्यात प्रेषण की स्वीकार्यता और निर्यात से मिलने वाली राशियों को आयात के लिए देय राशियों के विरुद्ध समायोजन के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए विभिन्न अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

2.1. इस संबंध में, परिपत्र संख्या 202/14/2023-जीएसटी दिनांक 27.10.2023 का संदर्भ लिया जाता है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि जब सेवाओं का निर्यात करने वाले भारतीय निर्यातकों को, अधिकृत डीलर (एडी) बैंकों द्वारा खोले गए भागीदार व्यापारिक देश के कॉरेस्पोंडेंट बैंक(बैंकों) के विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों से आईएनआर में निर्यात से मिलने वाले आय का भुगतान किया जाता है, तो विदेश व्यापार नीति, 2023 और वर्तमान आरबीआई परिपत्रों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन तथा किसी अन्य कानून के तहत आवश्यक अनुमति/अनुमोदन (यदि कोई हो) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसे आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (6) के उप-खंड (iv) की शर्तों को पूरा करने वाला माना जाएगा।

2.2. विदेशी मुद्रा प्रबंधन (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) नियम, 2023 (FEMA 14R/2023) के प्रावधानों के अनुसार, नेपाल, भूटान और एशियन क्लियरिंग यूनियन (ACU) के सदस्य देशों के अलावा अन्य देशों को निर्यात के लिए भुगतान/प्राप्ति भारतीय रुपये (INR) अथवा किसी भी विदेशी मुद्रा में की जा सकती है। INR में इस प्रकार का भुगतान कॉरेस्पोंडेंट बैंकों के आईएनआर नोस्ट्रो (रुपया वोस्ट्रो) खातों अथवा प्रत्यावर्तनीय भारतीय रुपया खातों, जैसे कि विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता (SRVA), विशेष गैर-निवासी रुपया (SNRR) खाता आदि के माध्यम से किया जा सकता है। चूंकि, एफ़ईएमए नियमों के अनुसार भारतीय रुपये में भुगतान निपटान का एक वैध तरीका है तथा रुपया वोस्ट्रो और एसएनआरआर खाते निर्यात की आय प्राप्त करने के लिए स्वीकृत खाते हैं।

2.3. अतः, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ कहीं भी भारतीय निर्यातकों द्वारा की गई सेवाओं के निर्यात के लिए भुगतान परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा अथवा प्रत्यावर्तनीय रुपया (INR) खातों, जैसे कि

एसएनएनआर खाता या आईएनआर नोस्ट्रो खाता, अथवा विदेशी मुद्रा के प्रत्यावर्तन के लिए ऐसे ही किसी अन्य खाते में प्राप्त होता है, तो इसे आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (6) के उप-खंड (iv) में निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाला माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, स्टॉक ब्रोकर्स अपने विदेशी ग्राहकों (FPI, NRIs और OCI) को सेवाएँ प्रदान करते हैं और इन सेवाओं के लिए भुगतान INR में प्राप्त करते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यावर्तनीय INR खातों (SNRR, NRE) के माध्यम से ब्रोकर्स को किया गया भुगतान, आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (6) के उप-खंड (iv) में निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने वाला माना जा सकता है। NRO खातों के माध्यम से भुगतान के मामले में, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (6) के उप-खंड (iv) के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाला माने जाने के लिए इसे प्रत्यावर्तनीय INR खातों (SNRR, NRE) के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

2.4. यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि एफ़ईएमए नियमों के तहत समायोजन लेनदेन निपटान का एक वैध तरीका हैं। आरबीआई के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुछ शर्तों के साथ समायोजन की अनुमति दी गई है। इस तरह के समायोजन की अनुमति माल के बदले माल और सेवाओं के बदले सेवाओं के लिए दी जाती है। हालांकि, नए दिशा-निर्देशों यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन (माल और सेवाओं का निर्यात और आयात) नियम, 2026 के लागू होने के साथ, 01 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होने के साथ, ऐसे लेनदेन के लिए उपर्युक्त शर्तें लागू नहीं होंगी। अतः, चूंकि एफ़ईएमए नियमों के अनुसार समायोजन निपटान का एक वैध तरीका है, इसलिए आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ निर्यात से प्राप्त होने वाली राशियों को आयात के लिए देय राशियों के विरुद्ध सेट-ऑफ किया जाता है, वहाँ जब तक ऐसा समायोजन आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप है, तब तक आईजीएसटी अधिनियम की धारा 2 के खंड (6) के उप-खंड (iv) में निर्धारित शर्त को पूरा हुआ माना जाएगा।

2.5. इसके अतिरिक्त, पुनर्बीमा दलालों द्वारा नेट रिटेंशन मैकेनिज़्म के माध्यम से प्राप्त प्रेषण के संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि किसी भारतीय पुनर्बीमा दलाल द्वारा विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं को

ब्रोकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए लिया जाने वाला कमीशन, विदेशी मुद्रा में अलग से आवक प्रेषण के बजाय नेट सेटलमेंट के माध्यम से निपटाया जाता है। इस स्थिति में, एफ़ईएमए नियमों के अनुसार, विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं / दलाल को कमीशन/ब्रोकरेज का भुगतान करने वाला माना जाता है; ऐसा इसलिए क्योंकि वे भारतीय दलाल को नेट प्रीमियम को भारत के बाहर भेजने से पहले ही उस रकम में से कमीशन/ब्रोकरेज अपने पास रखने की अनुमति देते हैं। एफ़ईएमए नियमों के तहत, इस नेट रिटेंशन मैकेनिज़्म के ज़रिए सेवा निर्यातक की निर्यात से होने वाली कमाई को वसूलने और वापस लाने की ज़िम्मेदारी पूर्ण हो जाती है। अतः, इसे आईजीएसटी अधिनियम की धारा 2(6) के खंड (iv) की शर्त को पूरा करने वाला माना जा सकता है।

3. माल के निर्यात के मामले में निर्यात से प्राप्त राशि की वसूली: सीजीएसटी नियमों के नियम 96ख की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि निर्यातित माल की बिक्री से प्राप्त राशि, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफ़ईएमए), 1999 के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर, जिसमें उक्त अधिनियम के तहत दी गई कोई भी विस्तारित अवधि शामिल है, पूर्णतः या आंशिक रूप से प्राप्त नहीं होती है, तो भुगतान की गई रिफंड राशि, जितनी राशि की प्राप्ति नहीं हुई है उतनी सीमा तक, लागू ब्याज सहित, उक्त निर्धारित अवधि अथवा, यदि कोई हो, तो विस्तारित अवधि की समाप्ति से तीस दिनों के भीतर जमा/वसूल किए जाने के लिए उत्तरदायी होगी। नियम 96ख में आगे यह भी प्रावधान है कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मामले के गुण-दोष के आधार पर राशि की प्राप्ति की आवश्यकता को पूर्णतः या आंशिक रूप से माफ कर दिया गया है, तो ऐसी कोई वसूली नहीं की जाएगी।

3.1. यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्यात से प्राप्त होने वाली राशि की वसूली की समय-सीमा तथा प्राप्त की जाने वाली राशि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफ़ईएमए), 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित होती है, जिसके प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए और लागू किए जाते हैं। अतः आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत माल के निर्यात से प्राप्त होने वाली राशि की वसूली की समय-सीमा वही होगी जो आरबीआई द्वारा जारी एफईडी (FED) मास्टर डायरेक्शन नंबर 16/2015-16 दिनांक

01.01.2016, (जिसमें आखिरी बार 05.06.2026 को संशोधन किया गया) में तय की गई है, या जो समय-समय पर संशोधित की जाती हैयह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ भी एडी बैंक द्वारा वसूली की आवश्यकता को पूर्णतः या आंशिक रूप से माफ कर दिया गया है, वहाँ नियम 96ख के अंतर्गत रिफंड राशि की वसूली नहीं की जाएगी।

4. अनुरोध है कि इस परिपत्र की बातों को संबंधित लोगों तक पहुंचाने के लिए उचित व्यापार नोटिस जारी किए जाएं।यदि इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तो उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

(गौरव सिंह)

आयुक्त (जीएसटी)